राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 30612-644 जयपुर, दिनांक: 3.4.14

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः— विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या—196/2001 में दिनांक—07.10.2004 को पारित आदेशों की पालना में विभाग द्वारा समय समय पर आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर. टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में परियोजनाओं का चयन करते हुये अब तक कुल 226 बाल विकास परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर.टी.ई. पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा चुके है।

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था की समीक्षा हेतु दिनांक—18.03.2014 को आयोजित बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निम्नलिखित सूचनाएं परियोजनावार अविलम्ब प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें ताकि इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जा सके :—

1. प्रत्येक स्वयं सहायता समूहं द्वारा कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है ?
2. स्वयं सहायता समूह द्वारा दिये जा रहे पूरक पोषाहार में न्यूट्रीशनल एवं फीडिंग नॉमर्स की पालना कहां तक पूरी हो रही है ?
3. स्वयं सहायता समूहों को सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आपूर्ति किये गये पूरक पोषाहार का भुगतान वास्तविक रूप से कितने दिनों में प्राप्त हो रहा है ?
4. स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में पूरक पोषाहार का परिवहन किया जाता है तो उक्त परिवहन की क्या व्यवस्था है ?
5. स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का निर्माण ग्रुप की महिलाओं द्वारा किया जाता है अथवा बाहरी व्यक्ति द्वारा ?
6. जिन बाल विकास परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार की आपूर्ति प्रारम्भ होने के उपरांत बंद हो गई थी उनके बंद होने के कारणों के स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

उक्त सूचना पत्र प्राप्ति से तीन दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

(आर.एस.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in